(१९)

न्यायालय श्रीमान समक्ष अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्र0क0 4604) निग0 / 18

पुनर्स्थापन-0691/2019/होशंगाबाद/पु0/18

नर्मदा प्रसाद आ. कृष्णा लोधी वयस्क

निवासी ग्राम बडोदिया कलां तहसील होशंगाबाद

जिला होशंगाबाद .... आवेदक

विरुद्व

कमल सिंह आ. बल्देव प्रसाद लोधी

वयस्क निवासी ग्राम बडोदिया कलां तहसील होशंगाबाद

जिला होशंगाबाद .... अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 35(3) मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता

आवेदक नर्मदा प्रसाद की और से निम्न निवेदन है कि :–

1 यहकि उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 29/5/19 का नियत था।

2 यहकि उपरोक्त प्रकरण पेशी दिनांक 29/05/19 को माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक एवं उसके अधिवक्ता की अनुउपस्थित में अदम पैरवी में खारिज किया गया है आवेदक भोपाल शहर से बाहर ग्राम बडोदिया कलां तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद में निवास करता है उसके पेशी की जानकारी न होने के कारण वह माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी दिनांक 29/5/19 को उपस्थित नही हो पाया था एवं आवेदक के अधिवक्ता की अचानक तबीयत खराब होने से वह भी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाये थे । आवेदक के अधिवक्ता दिनांक 30/5/19 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये तो तब उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई की प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अविलम्ब प्रकरण को पुनः नंबर पर लेने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

3 यहकि उपरोक्त निगरानी में आवेदक के अतिमहत्वपूर्ण हित व अधिकार निहित है प्रार्थना पत्र समयसीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है प्रकरण अभी प्रारंभिक अवस्था में है पेशी दिनांक 29/5/19 की आवेदक अधिवक्ता की अनुउपस्थित उपरोक्त कारण से है जो कि सकारण एवं सदभावनापूर्ण होने से क्षमा किये जाने योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एवं अपीलार्थी की पेशी दिनांक 29/5/19 की अनुउपस्थिति को क्षमा करते हुए, प्रकरण क. 4604/निगरानी/2018 नर्मदा प्रसाद विरुद्व कमलसिंह को पुनः नबंर पर लेने के आदेश पारित करने की कृपा करें ।

भोपाल

दिनांक 30/5/19

आवेदक

द्वारा अधिवक्ता

रेस्टो- 691/2019/होशंगाबाद/Ren

21-6-19 आवेदक अधि. श्री दीपक मालवीय उप.।

उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक नि.० 4604/2018/होशं./ क्रूरा में पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

रीडर

अध्यक्ष